

सुभान १९९१ / - पाठ १९९१

महान्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अलवर [राज०]

हुक्म या कार्यवाही

शेख हुक्म

9-9
19 पत्रावली देवा हुई। सपिस्ट रिपोर्ट का (अवलोकन किया)।
पार्चना - पत्र दफ्त सपिस्टर किया जावे। बाजदायरी
पार्चना - पत्र पर अपील (अपिल) को सत्रपुत्रीय सुना
जाया। बहस पर मन्त्र उरने के उपरान्त बाजदायरी
पार्चना - पत्र 500/- (पांच सौ रुपये) को रूट पर
सहीकार किया जाकर बूला अपील को नम्बर पर
लिया जाते के आदेश दिये जाते हैं। पार्चना - पत्र
फैसल सुभान होकर मन्त्र से इस किया जाकर बूला
अपील के साथ संलग्न रहे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर